लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी (राजस्व)
(जिला कलक्टर),बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – प्रकाश चन्द्र शर्मा, IAS.

प्रकरण संख्या : 01/ 2023
GCMS NO. : 2023/30

प्रार्थी /अपीलार्थी :–		अप्रार्थी /रेस्पोण्डेंट्सः–
श्री लोकेश पण्ड्या, पण्ड्या सदन, पाटीदार हॉस्टल के पिछे, लोधा, बॉसवाडा	बनाम	उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा

निर्णय

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

दिनांक :– 23–02–2023

प्रस्तुत मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि अपीलार्थी द्वारा **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** से सूचना चाहने हेतु धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 24–12–2022 को प्रस्तुत किया। अपीलार्थी अनुसार प्रस्तुत आवेदन पर **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा सूचना के सन्दर्भ में सूचित करने पर उनके जवाब से असन्तुष्ट होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर इस न्यायालय से नोटिस दिनांक 13–02–2023 जारी किया गया एवं अपीलार्थी एवं प्रत्यर्थी को भी नियत तिथी को अपना पक्ष रखने [illegible] न सूचित किया गया।

उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा ने उनके [illegible] 118 दिनांक [illegible]2–2023 से जवाब प्रस्तुत करते हुए अपने जवाब में उल्लेखित किया कि प्रार्थी द्वारा चाह[illegible] अभिलेख में नही होने [illegible] जाना संभव नही होने से अपीलार्थी को कार्यालय के पत्रांक 110 दिनांक 13.01.2023 से नियमानुसार समयावधि के भीतर सूचित किया गया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर

दिनांक 16–11–2022 को प्रत्यर्थी सुनवाई हेतु अनुपस्थित है। अपीलार्थी बावजुद सूचना अनुपस्थित है। प्रत्यर्थी को सुना गया।

हमने पत्रावली का एवं **उपखण्ड अधिकारी बॉसवाडा** द्वारा प्रस्तुत जवाब का अध्ययन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत अन्तर्गत धारा 6(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत आवेदन दिनांक 24–12–2022 पर **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** द्वारा उनके पत्रांक 110 दिनांक 13.01.2023 से वांछित सूचना के सन्दर्भ में अवगत कराया है। जहॉ तक संतोषप्रद जवाब का प्रश्न है, प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ) के परिपत्र क्रमांक प 3(22) प्रसु/ सू.अ.प्र./06 दिनांक 02.02.2009 के बिन्दु सं. 3 के अनुसार भी "सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल ऐसी सूचना प्राप्त की जा सकती है जो लोक सूचना अधिकारी के पास पहले से मौजुद है।" चूंकि **उपखण्ड अधिकारी (लोक सूचना अधिकारी) बॉसवाडा** ने वांछित सूचना उनके कार्यालय के अभिलेख में नही होने के कारण सूचना उपलब्ध कराने में असमर्थता बाबत् पत्रांक 110 दिनांक 13.01.2023 से अपीलार्थी को सूचित किया है। अब इस प्रकरण में कोई कार्यवाही शेष नही रहने से अपील अपीलार्थी खारिज की जाती है।

निर्णय आज दिनांक 23–02–2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रकाश चन्द्र शर्मा) IAS.
लोक सूचना अपीलीय प्राधिकारी,
जिला कलक्टर, बॉसवाडा (राज.)

जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Sharma
Date: 2023.08.07 12:44:47 IST
Reason: SelfAttested